

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-31/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं द्वारा दिनांक 12.06.2017 से 16.06.2017 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

- (1)परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार एवं अनुप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.04.2016 से 04.05.2016 तक श्री के0एल0भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - हरिद्वार परिक्षेत्र मे आबकारी विभाग से संबंधित आहरण वितरण व राजस्व संग्रह
(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षों मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼: yk[k esa½
2014-15	19693.57
2015-16	25893.94
2016-17	28317.92

(ii)(c) बजट का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-31/2017-18

विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	179.77	174.16	-	-		5.61
2015-16	-	-	194.90	170.85	-	-		24.05
2016-17	-	-	232.50	202.96	-	-		29.54

(i) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई --- ---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव आबकारी > आबकारी आयुक्त > अपर आबकारी आयुक्त > संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी आयुक्त > आबकारी निरीक्षक (आसवनी) > आबकारी सिपाही

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह जुलाई 2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

प्रस्तर-1 अनिवार्य दस्तावेज विलम्ब से जमा किये जाने के बावजूद भी लाईसेन्स फीस जब्त न किया जाना □
535.00 लाख

सभी आपत्तियां **working of Distilleries in the state Thematic Audit** (विषयक लेखापरीक्षा) में शामिल कर ली गयी है इसलिए प्रस्तर संबन्धित प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जा रहा है।

भाग-2 'ब'

सभी आपत्तिया working of Distilleries in the state Thematic Audit (विषयक लेखापरीक्षा) में शामिल कर ली गयी है इसलिए प्रस्तर संबन्धित प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जा रहा है।

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग-2 'अ'

प्रस्तर-1 अनिवार्य दस्तावेज विलम्ब से जमा किये जाने के बावजूद भी लाईसेन्स फीस जम्मा न किया जाना □
535.00 लाख

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(07) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 18(3) में यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो इस दशा में अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for vetail sale country liguor/foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वतंत्र निस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा की गयी समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-31/2017-18

पुन नियम 18(5) के अनुसार आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पै नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पै नम्बर नहीं हो तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पै नम्बर प्रस्तुत अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

देशी शराब एवं विदेशी शराब के दुकानों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार अनुज्ञापियों द्वारा उक्त नियम में दर्शाये गये दस्तावेज विलम्ब से तैयार किये गये जिससे यह ज्ञात होता है कि उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के बाद कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। किन्तु उनके लाइसेन्स को निरस्त नहीं किया गया एवं लाइसेन्स फीस जिसे अनुज्ञापी द्वारा दुकान आवंटन के बाद तत्काल जमा करना होता है। संलग्न विवरण के अनुसार ₹ 53500000/- जब्त नहीं किया गया एवं इसके अतिरिक्त अन्य जमाराजस्व को जब्त किया जाना था जिसे जब्त नहीं किया गया। पुनः दुकानों को आवंटन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त भी जब्त करने की तिथि तक यदि अनुज्ञापी द्वारा कोई राशि जमा की गयी थी उसे भी जब्त किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अनुज्ञापियों पर ब्रीच की कार्यवाही करते हुए राजस्व बढ़ाया गया है, राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for vetail sale country liguor/foreign liguor/beer rule, 2001) में दस्तावेज विलम्ब से जमा करने पर जमा समस्त राजस्व जब्त करने का प्रावधान है न कि ब्रीच की कार्यवाही करे अनुज्ञापी को दुकान संचालन हेतु लाइसेन्स प्रदान करना।

अतः प्रकरण शासन एवं उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार

क्रम संख्या	दुकान	लाइसेन्सी का नाम	दस्तावेज जिसे विलम्ब से जमा किया गया	लाइसेन्स फीस	दुकान आवंटन का दिनांक
1.	विदेशी मदिरा दुकान लक्सर 2	सुञ्चानन्द	स्थायी निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 18.04.16)	672000	21.03.2016
2.	विदेशी मदिरा दुकान कागड़ी रोड	रामकुमार	चरित्र प्रमाण पत्र (दिनांक 18.04.16) हैसियत प्रमाण पत्र के रूप में बैंक गारण्टी (दिनांक 09.05.16)	2393000	21.03.2016
3.	विदेशी मदिरा दुकान सिविल लाईन 1	राजिन्दर	हैसियत प्रमाण पत्र के रूप में बैंक गारण्टी (दिनांक 05.05.16)	1782000	21.03.2016
4.	विदेशी मदिरा दुकान रामनगर भगवानपुर रोड	छाया	चरित्र प्रमाण पत्र (दिनांक 18.04.16) हैसियत प्रमाण पत्र के रूप में बैंक गारण्टी 01/06-2016-17 (दिनांक 09.05.17)	1161000	21.03.2016
5.	विदेशी मदिरा दुकान धनौरी रोड	ब्रह्ममवती	पै नम्बर की Application (दिनांक 12.04.16) हैसियत प्रमाण पत्र के रूप में बैंक गारण्टी (दिनांक 09.05.16)	585000	21.03.2016
6.	विदेशी मदिरा शिवालिक नगर	अरविन्द सिंह	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 13.04.2016	6143000	21.03.2016

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-31/2017-18

7.	विदेशी मदिरा चौल्ली	विशाल गुप्ता	स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 16.04.2016	481000	21.03.2016
8.	विदेशी मदिरा मंगलौर	सुनिता रानी	पैन कार्ड Apply दिनांक 09.04.2016	1306000	21.03.2016
9.	विदेशी मदिरा मण्डावली नारसन रोड	आशीष चावला	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	985000	21.03.2016
10.	विदेशी मदिरा केवटेडा	सुनिता	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 21.04.2016	967000	21.03.2016
11.	विदेशी मदिरा रानगर कैम्प	राजेश कुमार जोशी	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 22.04.2016	2373000	21.03.2016
12.	विदेशी मदिरा मेन बाजार	अंकित अग्रवाल	हैसियत प्रमाण पत्र के रूप में बैंक गारण्टी (दिनांक 18.04.16)	2324000	21.03.2016
13.	विदेशी मदिरा रोशनाबाद/सिडकुल रावली महदूद	विजयपाल	पैन कार्ड Apply दिनांक 11.04.2016	2901000	21.03.2016
14.	विदेशी मदिरा अमावत गढ	रविता	पैन कार्ड Apply दिनांक 08.04.2016	367000	21.03.2016
15.	विदेशी मदिरा सोहलपुर लालवाला रोड	निशान्त बंसल	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	261000	21.03.2016
16.	विदेशी मदिरा रानगर लाखनौत	प्रमोद	पैन कार्ड Apply दिनांक 06.04.2016	136000	21.03.2016
17.	देशी मदिरा कुर्डी भगवानपुर	चन्द्रपाल सिंह	स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2016	477000	21.03.2016
18.	देशी मदिरा दुकान मंगलौर	कुसुम	स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2016	3144000	21.03.2016
19.	देशी मदिरा दुकान खानपुर	सीता देवी	पैन कार्ड Apply दिनांक 13.05.2016	663000	21.03.2016
20.	देशी मदिरा दुकान बौग्ला	अर्जून	Pan not dispatch on 07.04.16	1225000	21.03.2016
21.	देशी मदिरा दुकान बाजूहेडी	विनोद	पैन कार्ड Apply दिनांक 07.04.2016	1063000	21.03.2016
22.	देशी मदिरा दुकान रामनगर लखनौता	सुदेशना देवी	पैन कार्ड डिस्पैच दिनांक 11.04.2016	1144000	21.03.2016
23.	देशी मदिरा दुकान सल्फर बेलडी	निर्मला देवी	स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2016	767000	21.03.2016
24.	देशी मदिरा दुकान रायसी	गुरदीप कौर	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	1387000	21.03.2016
25.	देशी मदिरा दुकान सोहलपुर	आदेश गिरि	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	1277000	21.03.2016
26.	देशी मदिरा दुकान तेजपुर	राजेश शर्मा	स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 27.04.2016	1520000	21.03.2016
27.	देशी मदिरा दुकान रामनगर सलेमपुर रोड	आभा	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	2426000	21.03.2016
28.	देशी मदिरा दुकान लहबोली	पूर्णिमा	पैन कार्ड Apply दिनांक 20.04.2016	348000	21.03.2016
29.	देशी मदिरा दुकान रतन का पुरवा	सुभाष	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 22.04.2016	1273000	21.03.2016
30.	देशी मदिरा दुकान मण्डावली नारसन	उर्मिला	स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2016	1783000	21.03.2016

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-31/2017-18

31.	देशी मदिरा दुकान दाबकी	श्यामपाल	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2016	530000	21.03.2016
32.	देशी मदिरा दुकान गोवर्धनपुर	सुमिता देवी	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 03.05.2016	1109000	21.03.2016
33.	देशी मदिरा दुकान पथरी	मनोज कुमार	पैन कार्ड Apply दिनांक 05.04.2016	1198000	21.03.2016
34.	देशी मदिरा दुकान मिकरवमपुर	सुरेश देवी	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2016	623000	21.03.2016
35.	देशी मदिरा दुकान दल्लावाला	जितेन्द्र पाल सिंह	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	433000	21.03.2016
36.	देशी मदिरा दुकान लक्सर	विवेक कुमार	PAN card NSDL के अनुसार 14.05.2016 तक प्राप्त नहीं हुआ था।	1212000	21.03.2016
37.	देशी मदिरा दुकान लक्सर-2	प्रवीण कुमार पंवार	चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016	1780000	21.03.2016
38.	देशी दुकान रोशनाबाद	अभिकुमार	पैन कार्ड Apply दिनांक 09.04.2016	3034000	21.03.2016
39.	देशी मदिरा दुकान खानपुर	शिवांगी जिन्दल	हैसियत प्रमाण पत्र के रूप में बैंक गारण्टी दिनांक 19.04.2016	247000	21.03.2016
40.			योग	□533500000	

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
---------------------------	---------------------------	---------------------------

06/98-99	1	-
25/2004-05	-	1
43/2005-06	1	1
18/2012-13		1,2,4
07/2016-17		1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-31/2017-18

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री एन०आर०जोश	जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, हरिद्वार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र